मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना (नई योजना) :–

हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर व उनकी आर्थिक स्थिति में गुणवत्ता सुधार लाने तथा पारम्परिक कलाओं को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या– 748/18–4–2016–8(ह0शि0)/10टी0सी0, दिनांक 02–06–2016 के माध्यम से मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना लागू की गयी है। योजनान्तर्गत चयनित हस्तशिल्पियों को रू0 500/– प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी। योजना हेतु पात्रता निम्नवत् है :–

(1) हस्तशिल्पियों की न्यूनतम आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो। (महिला हस्तशिल्पियों एवं शारीरिक रूप से विकलांग हस्तशिल्पियों को न्यूनतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।)

(2) हस्तशिल्पियों के पास विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत हस्तशिल्प पहचान–पत्र (आर्टीजन कार्ड) होना आवश्यक है।

(3) शिल्पकार के परिवार की वार्षिक आय रूपया एक लाख से अधिक न हो।

(4) शिल्पकार सरकारी/अर्ध सरकारी/गैर सरकारी/एन0जी0ओ0/निजी संगठनों में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी न हो।

(5) हस्तशिल्पी को एक ही प्रकार की पेंशन योजना का लाभ अनुमन्य होगा। यदि हस्तशिल्पी द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार की अन्य योजनाओं में पेंशन का लाभ प्राप्त किया गया हो, तो वह इस योजना का लाभ पाने हेतु पात्र नही होगा।

(6) योजना से आच्छादित हस्तशिल्पी चार पहिया वाहन का मालिक न हो।

निर्यात से सम्बन्धित योजना –

विपणन विभाग सहायता योजना –		
योजना	**पात्रता**	**प्रदन्त सुविधायें**
मेला एवं प्रदर्शनी।	सूक्ष्म, लघु उद्यम श्रेणी की ई0पी0बी0 में पंजीकृत इकाई	• स्टाल चार्जेस का 60 प्रतिशत अधिकतम रू0 100000/–प्रति मेला • इकनामी क्लास वायूयान भाड़ा का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 50,000/– प्रति मेला • अधिकतम एक वित्तीय वर्ष में तीन विदेशी मेले मे भाग लिया जा सकता है।
विदेशी पत्रीका में विज्ञापन कैटलाग प्रिंटिंग तथा वेबसाइट निर्माण कार्य।	–तदैव–	• कुल व्यय का 60 प्रतिशतअधितम रू0 60,000/– प्रतिवर्ष
विदेशी उपभोक्ता को नमूना भेजने पर हुये व्यय।	–तदैव–	• कोरियर चार्जेस का 75 प्रतिशत अधिकतम रू0 50,000/– प्रतिवर्ष
आईएसओ 9001–2000/बीआईएस 14000, हालमार्क, वूल मार्क/एच.ए.सी.सी.पी. एवं सी मार्क।	–तदैव–	• कुल व्यय का 50 प्रतिशत अधितमत रू0 75,000/– प्रतिवर्ष
गेट–वे पोर्ट तक माल भाडे पर किये गये व्यय पर अनुदान –		
योजना	**पात्रता**	**प्रदन्त सुविधायें**
आईसीडी/सीएफएस से गेट–वे पोर्ट तक निर्यात किये गये माल के भाड़े पर हुये व्यय पर अनुदान	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम श्रेणी की ई0पी0बी0 में पंजीकृत इकाई	• निर्यातक इकाई को राज्य की आईसीडी/सीएफएस से गेट–वे पोर्ट तक माल भेजने पर हुये व्यय भाड़े का 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 6000/– प्रति टी.ई.यू. (20फीटकन्टेनर)/12000/– प्रति टीईयू (40000 फीट कन्टेनर)

		• निर्यातक इकाई के लिये सहायता की अधिकतम धनराशि 12.00 लाख प्रतिवर्ष। • शिपमेन्ट से 180 दिन के अन्दर दावा प्रस्तुत करना होगा एवं • बैंक रियलाइजेशन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
वायुयान द्वारा भेजे गये निर्यात माल पर सब्सिडी		
योजना	**पात्रता**	**प्रदन्त सुविधायें**
लखनऊ एवं वाराणसी एयर कार्गो काम्पलेक्स द्वारा भेजे गये माल पर हुए व्यय भाड़े पर अनुदान।	इपीबी के साथ पंजीकृत सभी विनिर्माण और मर्चेन्ट निर्यातक इकाईया	अनुदान भाड़े से 20 प्रतिशत या 50 रू0 प्रतिकिलो जो भी कम हो तथा अधिकतम 2.00 लाख प्रतिवर्ष।
राज्य निर्यात पुरस्कार		
योजना	**पात्रता**	**प्रदन्त सुविधायें**
राज्य निर्यात पुरस्कार	• इपीबी के साथ पंजीकृत सभी विनिर्माण और व्यापारी मर्चेन्ट निर्यातक • न्यूनतम निर्यात कारोबार रू0 30,00,000/–	25 निर्दिष्ट श्रेणियों में से प्रत्येक में राज्य के उत्कृष्ट निर्यातकों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जायेगा।